आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
	आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती **सुनिया हेम्ब्रम** पिता/पति **डाडु हेम्ब्रम**, ग्राम–**बंगलाटांड, वार्ड नं0–15**, पोस्ट–**चक्रधरपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है । खतियानी जमीन मौजा– **वार्ड नं0–15**, थाना नं०–**68**, खाता नं०– **156**, प्लॉट नं०– **368**, रकवा– **0.06 ए0**, क्रेता श्री/श्रीमती–**मंगल सिंह मुण्डा**, पिता/पति–**सोहन सिंह मुण्डा**, ग्राम –**केनके**, पोस्ट–**रोलाडीह**, थाना–**टोकलो (चक्रधरपुर)**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। अचंल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक 785, दिनांक 19.09.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका – **सुनिया हेम्ब्रम**, पिता– **डाडु हेम्ब्रम**, के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास **8,40,000/–(आठ लाख चालीस हजार)** रूपये में बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में रोड़ हो, पिता पान्डु हो, सोनिया हो, पिता ताकन हो लोम्बरा हो पिता पुतु हो, गोविन्द हो पिता साधो हो विजय हो, टाप्पु हो, जगरू हो, रान्दाई कुई पिता डोवा हो, छुटु हो पिता चिन्ता हो एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। विक्रेता से उनका संबंध–**पिता–पुत्र** का है। जमाबन्दी पंजी ।। में खतियानी रैयत के नाम लगान कायम है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता थाना–**चक्रधरपुर** तथा क्रेता थाना–**टोकलो** के निवासी है तथा क्रेता एवं विक्रेता दोनों **"हो" (अ0ज0जाति०)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि निजी कार्य हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को जीविकोपार्जन हेतु रकवा–**2.83 ए0** भूमि अवशेष के रूप में बचती है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता श्री/श्रीमती **मंगल सिंह मुण्डा, पिता/पति–सोहन सिंह मुण्डा**, ग्राम–**केनके**, पोस्ट–**रोलाडीह**, थाना–**टोकलो (चक्रधरपुर)** जिला प० सिंहभूम के पक्ष में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत उक्त भूमि हस्तांतरण करने की **स्वीकृति** दी जाती है। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.04.05 14:25:20 +05:30
Location: 10.93.69.133